**Press Release**
**19.07.2023**

Directorate of Enforcement (ED), has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon'ble Special Court, PMLA Dehradun on 15.07.2023 against Ram Bilas Yadav, IAS (Retd.), the then Additional Secretary to the Uttarakhand Government in a case of disproportionate assets (DA). The Hon'ble Special Court, PMLA Dehradun has taken cognizance of the said Prosecution Complaint on 19/7/2023.

ED initiated investigation on the basis of FIR registered by Vigilance Establishment Dehradun against Ram Bilas Yadav under the Prevention of Corruption Act, 1988 for possession of disproportionate assets. It was alleged in the chargesheet filed by Vigilance Establishment Dehradun that during the check period from 01.01.2013 to 31.12.2016 Ram Bilas Yadav has amassed disproportionate assets to the tune of Rs. 20.61 Crore which more than his known sources of legal income.

The ED arrested Ram Bilas Yadav on 19.05.2023 in connection with the investigation conducted under the Prevention of Money Laundering Act, 2002. ED has also provisionally attached movable and immovable assets amounting to Rs. 20.36 Crore of Ram Bilas Yadav, IAS (Retd.) under the provisions of PMLA, 2002 on 05.07.2023.

Further investigation is in progress.

****************

# प्रेस विज्ञप्ति
## 19.07.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) से संबंधित मामले में उत्तराखंड सरकार के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव राम बिलास यादव, आईएएस (सेवानिवृत्त) के खिलाफ दिनांक 15.07.2023 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए देहरादून ने उक्त अभियोजन शिकायत (पी.सी.) पर दिनांक 19.07.2023 को संज्ञान लिया।

ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में, सतर्कता प्रतिष्ठान देहरादून द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रामबिलास यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। जाँच संस्था सतर्कता प्रतिष्ठान देहरादून द्वारा दाखिल की गये आरोपपत्र राम बिलास यादव पर 20.61 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया है जो कि उनकी कानूनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

ईडी ने दिनांक 19.05.2023 को राम बिलास यादव को गिरफ्तार भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राम बिलास यादव, आईएएस (सेवानिवृत्त) के 20.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम,(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई जांच के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2023 को अनंतिम(अस्थायी) रूप से कुर्क भी किया है|

आगे की जांच चल रही है।

****************